


INDIA
PARTNER

Dabur
GROUP

अवीवा धन निर्माण



AVIVA
| Life Insurance |



अवीवा धन निर्माणः एक नॉन-लिंकड पार्टीसिपेटिंग बचत सह सुरक्षा उन्मुख योजना जो आय की नियमित धारा की गारंटी देता है और परिपक्वता पर बोनस के साथ एकमुश्त राशि की गारंटी देता है।

हम सभी चाहते हैं कि हमारे निवेश जीवन के महत्वपूर्ण लम्हों को हासिल करने में मदद के लिए बढ़ते जाएँ। हालांकि, उच्च रिटर्न ज्यादातर उच्च जीविष्म के साथ आते हैं। अवीवा में हम आपके निवेश की बात करते समय दोतरफा लाभ की स्थिति में होने की खुशी को पहचानते हैं। अवीवा धन निर्माण, एक अद्वितीय जीवन बीमा योजना प्रस्तुत करता है जो आपको आपकी पॉलिसी अवधि के अंत में आय की गारंटीकृत नियमित धारा और बोनस भी प्रदान करता है। तो अपने पैसे को सुरक्षित तौर पर बढ़ाए दें।

अवीवा धन निर्माणः अद्वितीय आकर्षण

- प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत के तुरंत बाद शुरू होने वाली वार्षिक आय जो की वार्षिक प्रीमियम का 150 प्रतिशत (सेवा कर और अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो) के बावजूद है नियमित आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 गारंटीकृत वार्षिक भुगतान।
- पहले ही पालिसी वर्ष के अंत से, हर पालिसी वर्ष, सिंपल रिवर्सनरी बोनस से आपके बचत राशि में तुद्धि।
- आपकी लंबी अवधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए, निहित सरल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस, यदि कोई हो, के साथ परिपक्वता पर गारंटीकृत एकमुश्त भुगतान।
- आपके चुने गए बीमित राशि से आपके परिवार के लिए व्यापक वित्तीय सुरक्षा।
- 5 लाख रुपये और उससे अधिक की बीमित राशि चुनने पर प्रीमियम छूट।

अवीवा धन निर्माण — पात्रता

पैरामीटर	मापदंड										
न्यूनतम प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन)	4 साल										
अधिकतम प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन)	50 साल										
परिपक्वता आयु (पिछला जन्मदिन)	75 साल										
प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) और पॉलिसी अवधि (पीटी)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पीटी (वर्षों में)</th> <th>पीपीटी (वर्षों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	पीटी (वर्षों में)	पीपीटी (वर्षों में)	18	14	21	15	25	16	30	18
पीटी (वर्षों में)	पीपीटी (वर्षों में)										
18	14										
21	15										
25	16										
30	18										
सुनिश्चित राशि (एसए)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>न्यूनतम एसए (₹)</th> <th>अधिकतम एसए (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00,000</td> <td>1,00,00,000</td> </tr> </tbody> </table>	न्यूनतम एसए (₹)	अधिकतम एसए (₹)	2,00,000	1,00,00,000						
न्यूनतम एसए (₹)	अधिकतम एसए (₹)										
2,00,000	1,00,00,000										
वार्षिक प्रीमियम (न्यूनतम)	14,486 रुपए (अतिरिक्त प्रीमियम और सेवा कर हटाने के बाद, यदि कोई हो)										
वार्षिक प्रीमियम (अधिकतम)	9,98,000 रुपए (अतिरिक्त प्रीमियम और सेवा कर हटाने के बाद, यदि कोई हो)										
प्रीमियम भुगतान आवृत्ति और मॉडल कारक	वार्षिक, अद्वा-वार्षिक, ट्रैमासिक और मासिक अद्वावार्षिक, ट्रैमासिक और मासिक प्रीमियम आवृत्ति की गणना इस तरह होगी: अद्वावार्षिक = वार्षिक प्रीमियम \times 51.08 प्रतिशत ट्रैमासिक = वार्षिक प्रीमियम \times 25.91 प्रतिशत मासिक = वार्षिक प्रीमियम \times 8.71 प्रतिशत मासिक तरीके के लिए केवल ईसीएस/सीधा भुगतान ही मान्य है।										

सुनिश्चित राशि छूट

निम्नलिखित तालिका के अनुसार 500000 के बराबर या बराबर राशि के लिए बड़ी बीमा राशि छूट टैब्यूलर प्रीमियम दर पर लागू होगी:

पीटी (वर्षों में)	प्रति 1000 बीमा राशि प्रति छूट
18	4.5
21	5.0
25	6.0
30	7.5

कृपया ध्यान दें:

1. सामान और सेवा कर सहित करों तक सीमित नहीं है, लागू होने वाले सेसेस को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। कर कानून बदल सकते हैं।

2. यदि जीवन बीमाधारक पॉलिसी के शुरू होने की तरीख में एक नाबालिंग है:


- प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा देय होगा जो या तो जीवन बीमाधारक के माता-पिता या दादा या कानूनी अभिभावक हो सकता है।
- पॉलिसी की शुरुआत तिथि से जोखिम शुरू होगा।
- प्रीमियम भुगतान अवधि से पहले पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में, भविष्य के प्रीमियम का भुगतान जीवन बीमाधारक के जीवित माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। यदि भविष्य के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विलंब/पैदा-अप प्रावधान लागू होंगे।
- पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में जब बीमित व्यक्ति एक नाबालिंग है, तो बीमित व्यक्ति के जीवित माता-पिता/कानूनी अभिभावक को दावे के प्रवेश और दस्तावेज सूचत जमा करने पर पॉलिसीधारक माना जाएगा। पॉलिसी पिछले जन्मदिन की 18 साल की उम्र के पूरा होने पर जीवन बीमाधारक में निहित होनी।

अवीवा धन निर्माण — योजना कैसे काम करती है?

श्री शर्मा 30 साल के घेन्टभोगी कर्मचारी हैं। श्रीमती शर्मा, 29 की एक युहणी हैं। हाल ही में उनकी तीन साल की बेटी ने जन्म लिया है जो 3 महीने की है। श्री शर्मा चाहते हैं कि उनकी बेटी को गणतान्त्रीय शिक्षा मिलती है और एक सफल और स्वतंत्र करियर महिला बने। वह अपनी कमाई क्षमता के चरम पर इस पर उपर्युक्त वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है।

श्री शर्मा 21 साल के पॉलिसीर्ट टर्म विकल्प का चयन करके 5 लाख रुपये की बीमित राशि के लिए अवीवा धन निर्माण लेते हैं जिसके लिए उहें 15 साल के लिए रुपये 44,020 (सेवा कर के अनन्य) का वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है।

Scenario 1: Mr. Sharma survives during the Policy Term



उपर्युक्त उदाहरण में बोनस रकम रुपये 1,90 लाख रुपये होगी और क्रमशः 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के अनुमानित निवेश रिटर्न के तहत बोनस दरों की गणना इस तरह से की जाती है ताकि वे अनुमानित निवेश वापसी प्रति वर्ष 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की धारणा के अनुरूप हों। इन्हें निवेश रिटर्न माना जाता है और अपेक्षित बोनस न तो गारंटीकृत होते हैं और न ही इसकी ऊपरी राशि जाती है। वास्तविक भविष्य का बोनस कंपनी के लाभ पोटेंशियलोंयों के भविष्य के अनुचर सहित कारकों की संख्या पर निर्भर करेगा।

परिदृश्य 2: श्री शर्मा पॉलिसी अवधि के दौरान मर जाते हैं
 12वें पॉलिसी वर्ष के दौरान श्री शर्मा की मौत के मामले में, श्री शर्मा के नामित व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ का भुगतान किया जाएगा।

12 वें वर्ष में श्री शर्मा की मृत्यु पर देय लाभ	राशि (रुपए)
न्यूनतम गारंटीकृत मृत्यु लाभ प्ल्स	₹5.54 लाख
4 प्रतिशत आश्वासित निवेश रिटर्न पर अपेक्षित बोनस	₹0.96 लाख
8 प्रतिशत आश्वासित निवेश रिटर्न पर अपेक्षित बोनस	₹2.89 लाख
4 प्रतिशत अनुमानित वापसी पर कुल अनुमानित भुगतान	₹6.50 लाख
8 प्रतिशत पर कुल अनुमानित भुगतान रिटर्न	₹8.43 लाख

श्रीमान की मृत्यु के मामले में। 18 वीं पॉलिसी वर्ष के दौरान शर्मा, निम्नलिखित लाभ श्री शर्मा के नामित व्यक्ति को दिया जाएगा।

18 वें वर्ष में श्री शर्मा की मृत्यु पर देय लाभ	राशि(रुपए)
उत्तरजीविता लाभ 15 से 17वीं पॉलिसी वर्षगांठ (₹66030*3) से पहले ही भुगतान किए गए	₹1.98 लाख
न्यूनतम गारंटीकृत मृत्यु लाभ प्ल्स	₹6.93 लाख
4 प्रतिशत पर निरर्णय बोनस रिटर्न	₹1.49 लाख
8 प्रतिशत पर निरर्णय बोनस रिटर्न	₹4.47 लाख
4 प्रतिशत अनुमानित वापसी पर कुल अनुमानित भुगतान	₹8.42 लाख
8 प्रतिशत अनुमानित वापसी पर कुल अनुमानित भुगतान	₹11.40 लाख

कृपया ध्यान दें

- उपर्युक्त केस अध्ययन केवल एक उदाहरण है और किसी भी तरह से कोई अधिकार और / या दायित्व नहीं बनाते हैं। पॉलिसी का वास्तविक अनुभव ऊपर दिखाएँ गए कार्यों से अलग हो सकता है। उपर्युक्त परिदृश्य पर चित्रित किया गया है जो 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत ने निवेश वापसी परिदृश्य दिखाता है।

अवीवा धन निर्माण — बोनस

इस उत्पाद में लिखी गई लाभ नीतियों के साथ पार फंड के मुनाफे में भाग लेना होगा और बीमा राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए एक सरल रिवर्सनरी बोनस को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप घोषित किया जाएगा। एक बार घोषित सरल रिवर्सनरी बोनस गारंटीकृत हो जाएगा और पॉलिसी से जुड़ा रहेगा और पॉलिसी की मृत्यु या परिपक्वता के समय भुगतान किया जाएगा। टर्मिनल बोनस, जो बीमानि राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, घोषित किया गया है, पॉलिसी अनुबंध की समाप्ति पर भी भुगतान किया जाएगा।

अवीवा धन निर्माण — योजना लाभ

मृत्यु लाभ

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाकृत जीवन की मृत्यु के मामले में, बशर्ते सभी देय नियमित प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, देय राशि का भुगतान किया गया, निम्नलिखित रकम का उच्चतम होगा:

- वार्षिक प्रीमियम का 10 युना भुगतान (किसी भी राशि को छोड़कर अतिरिक्त प्रीमियम और / या कर, यदि कोई हो), या
- भुगतान किए गए प्रीमियम का 105 प्रतिशत (अतिरिक्त प्रीमियम और / या करों के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को छोड़कर), या
- परिपक्वता बीमा राशि, या
- पॉलिसी की बीमा राशि

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निहित सरल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस बीमा राशि के प्रतिशत के रूप में, अगर कोई है, तो भी नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। मृत्यु लाभ के भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

चूंके और भुगतान नीतियों के मामले में देय लाभों के लिए, कृपया विलंब, भुगतान—भुगतान, पुनरुद्धार और समर्पण के लिए प्रावधान अनुभाग देखें।

उत्तरजीविता लाभ

यदि जीवन बीमाधारक प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद जीवित है और बशर्ते सभी देय

नियमित प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तो वार्षिक प्रीमियम के 150 प्रतिशत की एक जीवित लाभ का भुगतान प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ पर किया जाएगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है चयनित पॉलिसी अवधि के आधार पर :

पॉलिसी अवधि	अस्तित्व लाभ पात्रता	देय राशि
18 वर्ष	14 से 17 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	वार्षिक प्रीमियम का 150 प्रतिशत*
21 वर्ष	15 से 20 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	
25 वर्ष	16 से 24 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	
30 वर्ष	18 से 29 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	

*वार्षिक प्रीमियम आपके चुने गए पॉलिसी टर्म पर निर्भर करता है और यदि कोई हो तो अतिरिक्त प्रीमियम और / या करों के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को बाहर कर देगा।

परिपक्वता लाभ

यदि जीवन बीमाधारक परिपक्वता तिथि तक जीवित रहता है और बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, तो नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट परिपक्वता बीमा राशि के साथ चयनित पॉलिसी अवधि के आधार पर देय होगी। निहित सरल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस (यदि कोई हो)। परिपक्वता बीमा राशि के भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगा।

पॉलिसी अवधि	परिपक्वता सुनिश्चित राशि
18 वर्ष	8 x वार्षिक प्रीमियम
21 वर्ष	7 x वार्षिक प्रीमियम
25 वर्ष	6 x वार्षिक प्रीमियम
30 वर्ष	5 x वार्षिक प्रीमियम

वार्षिक प्रीमियम आपके चुने गए पॉलिसी अवधि पर निर्भर करता है और अतिरिक्त प्रीमियम और / या कर, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि को बाहर कर देगा।

अवीवा धन निर्माण — चूंके, भुगतान, पुनरुद्धार और समर्पण के लिए प्रावधान।

यदि दो साल से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है:

- पहले 2 पॉलिसी सालों के दौरान, यदि देय अवधि की समाप्ति से पहले देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- लंग्स पॉलिसी को देय प्रीमियम पर व्याज के साथ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से सभी देय प्रीमियम का भुगतान करके पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम (पुनरुद्धार अवधि) की तारीख से दो साल के भीतर पुर्जोवित किया जा सकता है।
- यदि पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम (पुनरुद्धार अवधि) की तारीख से दो साल के भीतर एक लापता पॉलिसी को पुर्जोवित नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पुनरुद्धार अवधि के अंत में बिना किसी लाभ के समाप्त हो जाएगी:
- यदि कम से कम दो साल के प्रीमियम का भुगतान किया गया है:
- कम से कम पहले 2 साल के प्रीमियम के भुगतान के बाद, यदि किसी भी देय प्रीमियम का भुगतान अवधि अवधि अवधि अवधि होने से पहले नहीं किया जाता है:

 - पॉलिसी कम से कम दो साल के साथ पेड़—अप बन जाएगी।
 - एक पेड़—अप पॉलिसी किसी भी भविष्य के साल से विस्तरनरी बोनस पहले से ही भुगतान किए जाने वाले पॉलिसी की तारीख तक निहित है, जिसे पेड़—अप पॉलिसी के तहत सभी भावी लाभ भुगतानों के लिए माना जाएगा।
 - भुगतान किए गए पॉलिसी किसी देय प्रीमियम पर व्याज के साथ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष सभी देय प्रीमियम का भुगतान करके पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम (पुनरुद्धार अवधि) की तारीख से दो साल के भीतर सभी भावी लाभ भुगतानों के लिए माना जाएगा।
 - यदि भुगतान किए गए पॉलिसी की विवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, निहित सरल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस के साथ भुगतान किए गए बीमा राशि को नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
 - यदि भुगतान किए गए पॉलिसी की विवाहित व्यक्ति की गई पॉलिसी वर्षगांठ नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी नीचे उल्लिखित लाभों के साथ पेड़—अप पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी।

- पेड़—अप पॉलिसी के तहत लाभ:

 - मृत्यु लाभ
 - पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, निहित सरल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस के साथ भुगतान किए गए बीमा राशि को नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। मृत्यु लाभ के भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

पेंड—अप भीमित राशि (पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम की कुल संख्या मृत्यु भुगतान राशि के मूल्य राशि की संख्या) होगी।

• उत्तरजीविता लाभ

यदि जीवन बीमाधारक नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ पर जीवित है, तो भुगतान के प्रीमियम के 150 प्रतिशत \times वार्षिक प्रीमियम एकसे संख्या के लिए एक जीवित लाभ पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम की कुल संख्या का भुगतान किया जाएगा। इन नीति वर्षगांठों में से प्रत्येक पर। वार्षिक प्रीमियम आपके चुने गए पॉलिसी टर्म पर निर्भर करता है और यदि कोई हो तो अतिरिक्त प्रीमियम और/या करों के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को बाहर कर देगा।

पॉलिसी अवधि	अरित्रत लाभ पात्रता	देय राशि
18 वर्ष	14 से 17 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	150 प्रतिशत \times वार्षिक प्रीमियम \times संख्या प्रीफ़ प्रीमियम भुगतान \div पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम की संख्या
21 वर्ष	15 से 20 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	
25 वर्ष	16 से 24 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	
30 वर्ष	18 से 29 वीं पॉलिसी वर्षगांठ	

• परिपक्वता लाभ

यदि जीवन बीमाधारक परिपक्वता तिथि तक जीवित रहता है, तो नीचे दी गई तालिका में निहित भुगतान—मूल्य निहित सरल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस के साथ देय होगा, यदि कोई हो। पेंड—अप मूल्य के भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

पॉलिसी अवधि	भुगतान मूल्य
18 वर्ष	8 \times वार्षिक प्रीमियम \times संख्या प्रीमियम भुगतान \div देय प्रीमियम की संख्या
21 वर्ष	7 \times वार्षिक प्रीमियम \times संख्या प्रीमियम भुगतान \div देय प्रीमियम की संख्या
25 वर्ष	6 \times वार्षिक प्रीमियम \times संख्या प्रीमियम भुगतान \div देय प्रीमियम की संख्या
30 वर्ष	5 \times वार्षिक प्रीमियम \times संख्या प्रीमियम भुगतान \div देय प्रीमियम की संख्या

वार्षिक प्रीमियम आपके चुने गए पॉलिसी टर्म पर निर्भर करता है और यदि कोई हो तो अतिरिक्त प्रीमियम और/या करों के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को बाहर कर देगा।

समर्पण मूल्य

कम से कम दो पॉलिसी साल के प्रीमियम का भुगतान किया गया है, बशर्ते एक पॉलिसी आमसमर्पण की जा सके। देय सरेंडर वैल्यू, गारंटीकृत सरेंडर वैल्यू (जीएसवी) और स्पेशल सरेंडर मूल्य:

जीएसवी = {(भुगतान किए गए प्रीमियम \times जीएसवी फैक्टर – उत्तरजीविता लाभ पहले ही भुगतान किए गए हैं) प्लस (निहित सरल रिवर्सनरी बोनस की गारंटीकृत सरेंडर वैल्यू)}

जहां निहित सरल रिवर्सनरी बोनस की गारंटीकृत सरेंडर वैल्यू = जीएसवी कारक (सरल पुनरीक्षण बोनस के लिए) \times सरल की निहित राशि रिवर्सनरी बोनस

भुगतान किए गए प्रीमियम से संबंधित गारंटीकृत सरेंडर मूल्य कारक निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं।

*प्रीमियम अतिरिक्त प्रीमियम और/या कर, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को बाहर कर देगा।

सरेंडर पॉलिसी वर्ष	गारंटीकृत सरेंडर मूल्य			
	कारक पॉलिसी अवधि (वर्षों में)			
	18	21	25	30
2 और 3	30%	30%	30%	30%
4 से 11	50%	50%	50%	50%
12	55%	50%	50%	50%
13	65%	55%	50%	50%
14	65%	60%	55%	50%
15	70%	60%	60%	50%
16	75%	70%	60%	50%
17	90%	75%	70%	60%
18	100%	82%	77%	60%

19	लागू नहीं	87%	85%	68%
20	लागू नहीं	95%	90%	75%
21	लागू नहीं	105%	95%	80%
22	लागू नहीं	100%	85%	
23	लागू नहीं	105%	90%	
24	लागू नहीं	110%	95%	
25	लागू नहीं	120%	100%	
26	लागू नहीं	120%	105%	
27	लागू नहीं	110%	95%	
28	लागू नहीं	115%	100%	
29	लागू नहीं	118%	105%	
30	लागू नहीं	125%	110%	

नोट: घोषित बोनस के संबंध में गारंटीकृत समर्पण मूल्य उपरोक्त गारंटीकृत सरेंडर मूल्य के अतिरिक्त भी प्रदान किया जाएगा।

वर्ष में समाप्त अवधि	निहित सरल रिवर्सनरी बोनस के लिए गारंटीकृत आमसमर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि (वर्षों में)			
	18	21	25	30
2	16.9%	12.4%	8.4%	5.5%
3	18.9%	13.8%	9.3%	6.0%
4	21.1%	15.4%	10.3%	6.7%
5	23.5%	17.1%	11.5%	7.4%
6	26.3%	19.1%	12.8%	8.1%
7	29.3%	21.3%	14.2%	9.0%
8	32.7%	23.7%	15.8%	9.9%
9	36.6%	26.5%	17.5%	11.0%
10	40.8%	29.5%	19.5%	12.2%
11	45.6%	32.9%	21.7%	13.5%
12	51.0%	36.7%	24.1%	14.9%
13	57.0%	41.0%	26.8%	16.5%
14	63.8%	45.8%	29.9%	18.3%
15	71.3%	51.1%	33.3%	20.2%
16	79.8%	57.1%	37.0%	22.4%
17	89.3%	63.8%	41.3%	24.8%
18	100.0%	71.3%	46.0%	27.5%
19		79.8%	51.3%	30.5%
20		89.3%	57.2%	33.8%
21		100.0%	63.9%	37.5%
22			71.4%	41.7%
23			79.8%	46.4%
24			89.3%	51.6%
25			100.0%	57.5%
26				64.1%
27				71.5%
28				79.9%
29				89.3%
30				100.0%

विशेष समर्पण मूल्य:

एसएसवी = {(भुगतान किए गए प्रीमियम \times जीएसवी फैक्टर – उत्तरजीविता लाभ पहले ही भुगतान किए गए हैं) प्लस (निहित सरल रिवर्सनरी बोनस – उत्तरजीविता लाभ पहले ही भुगतान किए गए हैं) \times एसएसवी फैक्टर}

जहां, कुल लाभ देय निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

अगर पॉलिसी अवधि है	कुल देय लाभ
18 साल	14.0 \times सालाना प्रीमियम*
21 साल	16.0 \times सालाना प्रीमियम*
25 साल	19.5 \times सालाना प्रीमियम*
30 साल	23.0 \times सालाना प्रीमियम*

*वार्षिक प्रीमियम अतिरिक्त प्रीमियम और/या कर, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को छोड़कर होगा।

विशेष समर्पण मूल्य कारक (एसएसवी) की गारंटी नहीं है और कंपनी द्वारा आर्टआरडीए की पूर्ण अनुमोदन के साथ समय—समय पर समीक्षा की जा सकती है। कंपनी सेंडर पर टर्मिनल बोनस भी दे सकती है।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

कर लाभ

कर लाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी और 10 (10 डी) के अनुसार होगा। भीजूदा कर कानूनों के अनुसार कर लाभ और समय—समय पर परिवर्तन के अधीन है।

मुहल्त

वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम और मासिक भुगतान के लिए 15 दिन के भुगतान के लिए एक महीने की छूट अवधि लेकिन 30 दिनों से कम नहीं है।

प्रीमियम आवृत्ति बदलने का विकल्प

आपके पास प्रीमियम भुगतान अवधि के दोरान किसी भी पॉलिसी वर्षगांठ पर प्रीमियम भुगतान के तरीके को बदलने का विकल्प है। यह 100 रुपए के शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

आत्महत्या दावा प्रावधान और बहिष्कार (यदि कोई हो)

12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में:

- पॉलिसी की शुरुआत की तारीख से, पॉलिसीधारक के नामांकित या लाभार्थी कर और अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के अलावा भुगतान किए गए प्रीमियम का 80 प्रतिशत का हकदार होंगे, बशर्ते पॉलिसी लागू हो। या
- पॉलिसी के पुनरुत्थान की तारीख से, पॉलिसीधारक के नामांकित या लाभार्थी को उस राशि के हकदार होंगे जो कर्रा और मृत्यु की तारीख से अतिरिक्त प्रीमियम या सरेंडर वैन्यू के भुगतान के अलावा किसी भी भुगतान को छोड़कर भुगतान किए गए प्रीमियम का 80 प्रतिशत से अधिक है।

नमांकन और समर्पण समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नमांकन की अनुमति है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आता है।

इस नीति के तहत समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार समर्पण की अनुमति है।

ऋण:

ऋण इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है।

स्वीकृति:

पूर्ण प्रस्ताव और प्रारंभिक भुगतान की कंपनी द्वारा जोखिम को स्वीकार करने के लिए कंपनी के हिस्से पर कोई दायित्व नहीं बनाती है, और कंपनी तब तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि उसने जोखिम स्वीकार नहीं किया है और पॉलिसी जारी की हो।

फ्रीलुक अवधि

मास्टर पॉलिसीधारक को पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि मास्टर पॉलिसीधारक फ्रीलुक अवधि के दोरान पॉलिसी रद्द कर देता है, तो कंपनी रद्दीकरण की तारीख पर प्रीमियम, आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, यदि कोई हो, और चिकित्सा और स्टाम्प ड्यूटी पर किए गए खर्चों का कटौती करने के बाद वापस कर देगी।

अवीवा के साथ निवेश क्यों करें?

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड डाबर इंवेस्टमेंट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड—यूके विधित बीमा समूह, जिसका 1834 से भारत के साथ संबंध है, का संयुक्त उद्यम है। अवीवा समूह दुनिया के सभी पुराने बीमा समूहों में से एक है। वर्तमान में, यह 16 देशों (मार्च, 2015) में 31 मिलियन ग्राहकों की सेवा करता है। 1884 में स्थापित डाबर समूह, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के भारत के अग्री उत्पादकों में से एक है।

धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के जोखिम से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति देने की अनुमति नहीं देगा भारत में जीवन

या संपत्ति, देय कमीशन के पूरे या हिस्से का कोई भी छूट या पॉलिसी पर विखाए गए प्रीमियम की कोई छूट, और न ही कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी लेता है या नवीनीकृत करता है या पॉलिसी जारी रखता है, वह किसी भी छूट को स्वीकार कर सकता है, इस तरह के छूट को छोड़कर प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या बीमाकर्ता की तालिकाओं के अनुसार अनुमति दी गई है।

बशर्ते कि अपने जीवन पर स्वयं द्वारा ली गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एंजेंट द्वारा स्वीकृति को प्रीमियम के छूट के स्वीकृति के रूप में समझा नहीं जाएगा।

इस उपधारा का अर्थ अगर इस तरह की स्वीकृति के समय बीमा एंजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित एक पूर्ण बीमा एंजेंट है।

इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में कोई भी व्यक्ति फिल्फूल रूप से दंडनीय होंगा जो जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।

धारा 45

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार, इस अधिनियम के शुरू होने से पहले जीवन बीमा की कोई नीति इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से दो साल की समाप्ति के बाद नहीं होगी और आने वाले जीवन बीमा की कोई नीति प्रभावित नहीं होगी। इस अधिनियम के बल में, उस तारीख से दो साल की समाप्ति के बाद, जिस पर इस लागू किया गया था, प्रत्यावर में किए गए ब्यान या किसी चिकित्सा अधिकारी, या रेफरी की किसी भी रिपोर्ट में, बीमाधारक का मित्र, या पॉलिसी जारी करने के किसी भी अन्य दस्तावेज में, गलत या छूट था, जब तक नियोजित बीमाकर्ता यह नहीं दिखाता कि ऐसा ब्यान किसी भौतिक मामले या दबाने वाले तथ्यों पर था जो इसे प्रकट करने के लिए सामग्री थी।

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उपर के साक्ष्य के लिए बुलाए जाने से रोक देगा, यदि वह ऐसा करने का हकदार है, और पॉलिसी की शर्तों को केवल प्रश्न में बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि पॉलिसी की शर्तों को बाद के सबूत पर समायोजित किया जाता है कि जीवन बीमाधारक की आयु प्रस्ताव में गलत तरीके से बताई गई थी।

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया
नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800-180-2244 (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोग,
कर्ताओं के लिए टोल-फ्री) या 0124-2709046 या SMS
"Aviva" to 5676737
फैक्स नं.: 0124- 2571210



AVIVA

| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स¹ लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने,
डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोन: +91 0124-2709000, फैक्स: +91 0124-2571210

वेबसाइट: www.avivaindia.com

ई-मेल: customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली-110 001, भारत

Corporate Identity Number (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधान: IRDA की सार्वजनिक घोषणा: • IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉन्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में हैं और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), UIN : 122N105V01, Advt. No.: Oct 40/17, Mkt/October 2017/Ver.1.3.